झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा | पंचम् (बजट) सत्र
संख्या-08 | मंगलवार, दिनांक-09, मार्च, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 05.38 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, श्री विनोद कुमार सिंह तथा माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी सहित अन्य कई माननीय सदस्य अखबार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य समाचार पत्र की प्रतियाँ दिखाते हुए सदन की वेल में आ गये और इसकी जाँच की माँग करने लगे जिसपर आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा जाँचकर दोषी पर कार्रवाई किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

(शोरगुल)

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-19

(क) उत्तरित कुल-02, अ० सू०-140, डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स०,
अ० सू०-143,डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स०।

(ख) स्थगित कुल-03, अ० सू०-141, श्री बिरंची नारायण, स०वि०स०,
अ० सू०-142, श्री राज सिन्हा, स०वि०स०,

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री समरीलाल द्वारा रिम्स में जुनियर डॉक्टरों के हड़ताल किये जाने से उत्पन्न समस्याओं की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।)

अ० सू०-145, डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स०।

(ग) अपृष्ठ मात्र-01, अ० सू०-144, श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स०।

(घ) अनागत कुल-13, अ० सू०-146 से लेकर अ० सू०-158 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-63

(क) उत्तरित कुल-04, तारां०-क-33-चन, श्री दिनेश विलियम मराण्डी, स०वि०स०,
तारां०-302, श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स०,
तारां०-303, श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स०,
तारां०-305, श्री केदार हजरा, स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र-01, तारां०-304, श्रीमती सीता सोरेन, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-58, तारां०-306 से लेकर तारां०-363 तक।

इस क्रम मे माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सरकार पर दबाव दिये जाने पर आपत्ति जतायी।

2.शून्यकाल की सूचनायें :-

आज के लिए स्वीकृत निम्नांकित शून्यकाल की सूचनाये माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री राजेश कच्छप,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
श्री नारायण दास,
श्री जिगा सुसारन होरो,
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्री लोबिन हेम्ब्रम,
श्री केदार हजरा,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री भूषण तिर्की,
श्री दशरथ गागराई,
श्री बिरंची नारायण,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री कोचे मुण्डा,
श्री बंधु तिर्की,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री इन्द्रजीत महतो,
श्री राज सिन्हा,
श्री रामदास सोरेन।

3.सूचनाओं का दिया जाना :-

i- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली दौरे के उपरांत झारखण्ड मे पूँजी निवेश किये जाने सम्बन्धी बयान की सराहना माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा की गयी, परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पत्थलगड़ी मामलों से सम्बन्धी व्यक्तियो की रिहाई किये जाने के बयान पर आपत्ति जतायी गयी,

ii- माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी द्वारा बोरवा नारायणपुर (जामताड़ा) निवासी फरमूज अंसारी की त्रिपुर मे दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई मृत्यु की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया गया कि इसके लिए एम्बुलेंस सहित अन्य सहायता प्रदान की जाय,

iii- माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की द्वारा राज्य मे जनजातीय एवं परामर्शी समिति का गठन किये जाने की माँग आसन के माध्यम से की गयी।

4.कार्यस्थन प्रस्ताव की सूचनायें :-

माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा देश मे बढ़ते साईबर क्राईम की घटनायें, माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा द्वारा राज्य मे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा संयुक्त स्नातक शिक्षक परीक्षा, विज्ञापन संख्या-21/2016 के तहत गैर-अनुसूचित जिलों मे शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित विषय पर चर्चायें कराये जाने के निमित्त दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया।

चूँकि चलते बजट सत्र में उक्त विषयों पर वाद-विवाद के क्रम मे चर्चायें संभव है, अतएव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उक्त सूचनाओं को अमान्य किया गया।

नोट:-दिनांक-08.03.2021 को माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा झारखण्ड राज्य में ऊर्जा विभाग द्वारा राजस्व उगाही के नाम पर हो रही मनमानी से त्रस्त आम उपभोक्ताओं सम्बन्धी विषयों पर चर्चा कराये जाने हेतु दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को भी आसन द्वारा पढ़ी गयी जो तकनीकी भूल के कारण उक्त तिथि की विवरणिका में अंकित नहीं हो सका था।

अतएव दिनांक-08.03.2021 की दैनिक विवरणिका को यथा संशोधित मानते हुए इस विषय को भी समाहित समझा जाय।

5.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

i- माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

(सरकारी वक्तव्य के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आसन के निदेश से अपना उद्‌गार व्यक्त करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि यदि उनका सहयोग हो, तो डी.वी.सी. की मनमानी पर नकेल कसने में सरकार पीछे नहीं रहेगी।)

iii- माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग), श्री आलमगीर आलम द्वारा पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम,2002 की धारा 14 के अधीन वित्तीय वर्ष-2019-20,अवधि- 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गई।

7.वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक मे सम्मिलित अनुदानों की माँगो खण्ड-(02) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) एवं नगर विकास तथा आवास विभाग (आवास प्रभाग) की माँगे

सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8.वित्तीय कार्य(क्रमांक-7 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी ने चर्चा प्रारंभ की। इसके बाद निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्रीमती सीता सोरेन,
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,
श्रीमती ममता देवी,
श्री प्रदीप यादव,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री विनोद कुमार सिंह,

(इस अवसर पर सभा की सहमति से सदन का समय कार्यवाही पर्यन्त विस्तारित किया गया।)

श्री वैद्यनाथ राम,
श्री राज सिन्हा,
डॉ० इरफान अंसारी।

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा उत्तर दिया गया और वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँग खण्ड-(02) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण प्रभाग) सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-10.03.2020 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 09 मार्च, 2020ई०।